2020/00485

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

मोहरी देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तह.नवलगढ

किस्म मुकदमा:– अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम नम्बर 579 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 पारित किया गया है जो कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप नही होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	

Scanned with CamScanner